

# न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाङ्मेर

प्रकरण संख्या :- 18 / 2024

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी  
शौभाला जेतमाल धोरीमन्ना जिला बाङ्मेर

अप्रार्थी

बनाम जेठीदेवी पत्नी ओमप्रकाश कौम विशनोई  
सा. देह अतिक्रमी

प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत  
—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 06.12.2024

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शौभाला जेतमाल ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम विशनोईयों की ढाणी पटवार वृत्त शौभाला जेतमाल में सवत् 2081 में खसरा न. 470 किस्म गै.मु.धोरा कुल रकबा 12.8609 हैक्टेयर जो कि अनाधिवासित गै.मु.धोरा के रूप में दर्ज राजकीय भूमि है, पर माप में 0.6942 हैक्टेयर भूमि पर ईसबगोल की काश्त कर अतिचार किया है। फलतः प्रार्थी हल्का पटवारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि से बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसील में तामील कुनिन्दा कार्मिक पदस्थापित न होने से गैर सायल को नोटिस पटवारी हल्का के मार्फत तामील करवाया। नोटिस बाद तामील संलग्न पत्रावली है। नियत तारीख पेशी दिनांक 06.12.2024 को गैर सायल स्वयं उपस्थित रहा, तथा गैर सायल ने अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में गैर सायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

अतः उपर्युक्तानुसार किए गए विवेचन के मद्देनजर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी प्रमाणित पाया जाता है एवं भूअभिलेख निरीक्षक उडासर को फसल कुर्की हेतु आदेश दिये जाते हैं। विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा वार्षिक लगान 0.25 पैसा का 50 गुणा 12.50 रूपये पूर्णांक में 13 रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किया जावे। टी0आर0ए0, भू0अ0नि0 उडासर तथा हल्का पटवारी शौभाला जेतमाल को मांग कायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मुकाम धोरीमन्ना पर सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार धोरीमन्ना  
जिला बाङ्मेर